



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था-प्रथम/2019/

जयपुर दिनांक 27-9-19

3163

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-अलवर।

विषय:- स्थानान्तरण करने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय आदेश क्रमांक 3134 दिनांक 28.09.19.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शशिता यादव कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण पंचायत समिति नीमराना, जिला अलवर से पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर में कर अवगत करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीक्षार्थीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।

(सुनील शर्मा)

संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
3. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने बाबत।
4. सम्बन्धित विकास अधिकारी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति।

संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त